रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1850] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 9, 2010/भाद्र 18, 1932

No. 1850] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 9, 2010/BHADRA 18, 1932

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 सितम्बर, 2010

का.आ. 2196(अ).—खादी और ग्रामोद्योग आयोग (जिसे इसमें इसके पश्चात् आयोग कहा गया है) की स्थापना खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 61) की धारा 4 के अधीन खादी और ग्रामोद्योगों के विकास और इससे संबंधित मामलों के लिए हुई है;

और आयोग ने खादी और ग्राम उद्योगों के क्रियाकलापों के संचालन के लिए सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन एक रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी—भगवान ग्रामोद्योग सोसाइटी (जिसे इसमें इसके पश्चात् सोसाइटी कहा गया है), 163, गांधी नगर, मेरठ, उत्तर प्रदेश को 2,00,000.00 रुपए (दो लाख रुपए मात्र) की राशि का अग्रिम ऋण प्रदान किया था, जिसके अनुसरण में समिति ने वर्ष 1991-92 में बढ़ई और लुहार कार्य (सी और बी) इकाइयों की स्थापना की थी;

और, मूल राशि, उस पर उपगत ब्याज और दंड ब्याज सहित सोसाइटी द्वारा आयोग को 3,50,138.00 रुपए की राशि संदेय है;

और खादी और ग्रामोद्योग आयोग नियम, 2006 के नियम 29 (1) के अधीन अपेक्षानुसार, आयोग ने, ऋण राशि के बकाया और ब्याज/दंड ब्याज के लिए सोसाइटी द्वारा आयोग को संदेय 3,50,138.00 रुपए की राशि का भुगतान करने के लिए सोसाइटी को तारीख 28 जून, 2000 को नोटिस जारी किया और सोसाइटी को यह निर्देशित करते हुए कि सूचना प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर सोसाइटी, आयोग को ऋण के बकाया की राशि का भुगतान करे, जिसके असफल रहने पर आयोग, खादी और ग्रामोद्योग आयोग नियम, 2006 के नियम 29 (1) और नियम 30 के उप-नियम (2) के साथ पठित खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 61) की धारा 19 (ख) के अधीन भूमि राजस्व के बकाया के रूप में उक्त राशि की वसूली करने की कार्यवाही आरंभ करेगा;

और उक्त सोसाइटी ने सूचना की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर आयोग को संदेय 3,50,138.00 रुपए (तीन लाख पचास हजार एक सौ अड़तीस रुपए मात्र) की राशि की अपनी भुगतान देयता का विरोध किया और आयोग के समक्ष प्रतिवेदन किया;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, खादी और ग्रामोद्योग आयोग नियम, 2006 के नियम 30 के उप-नियम (2) के साथ पठित खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 61) की धारा 19(ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक व्यक्ति से मिलकर बने अधिकरण, अर्थात् श्री एस. के. गोयल, निदेशक, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली-110011 का गठन करती है और उक्त अधिनियम की धारा 19(ख) की उप-धारा (1) के अर्थांतर्गत के अधीन सोसाइटी द्वारा आयोग को बकाया के भुगतान करने के संबंध में निर्णय के लिए विवाद के प्रश्न को उक्त अधिकरण को प्रेषित करती है।

उक्त अधिकरण, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट यथाशीघ्र, किन्तु राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन मास से अधिक नहीं, प्रस्तुत करेगा।

उक्त अधिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा। अधिकरण के व्यय आयोग द्वारा वहन किए जाएंगे।

[फा. सं. सी-18019/15/2007-केवीआई-II]

शेष कुमार पुलिपाका, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd September, 2010

S.O. 2196(E).—Whereas, the Khadi and Village Industries Commission (hereinafter called the Commission) has been established under Section 4 of the Khadi and Village Industries Commission Act, 1956 (61 of 1956) for the development of Khadi and village industries and for matters connected therewith;

And whereas, the Commission had advanced loan of an amount of Rs. 2,00,000.00 (Rupees Two lakh only) to the Bhagwan Gramodyog Society (hereinafter referred to as the Society), 163, Gandhi Nagar, Meerut, Uttar Pradesh, a society registered under Societies Registration Act, 1860 for undertaking khadi and village industries activities, in pursuance of which the Society established Carpentry and Blacksmithy (C&B) units in the year 1991-92;

And whereas, a sum of Rs. 3,50,138.00 is payable by the Society to the Commission towards the principal, interest accrued thereon and penal interest;

And whereas, the Commission as required under rule 29 (1) of Khadi and Village Industries Commission Rules, 2006, issued notice on date 28th June, 2000 to the society to pay an amount of Rs. 3,50,138.00 which is payable to the Commission by the Society towards the outstanding balance of the loan amount and interest/penal interest and initiated proceedings for recovery of the arrears of the loan directing the society to pay the outstanding loan and interest thereon to the Commission within thirty days from the date of the receipt of the notice failing which the Commission would proceed to recover the same as arrears of land revenue under Section 19(B) of the Khadi and Village Industries Commission Act, 1956 (61 of 1956), read with rule 29 (1) and sub-rule (2) of rule 30 of the Khadi and Village Industries Commission Rule, 2006;

And wheras, the said Society has disputed its liability to pay the sum of Rs. 3,50,138.00 (Rupees three lakh fifty thousand one hundred thirty eight only) to the Commission within 30days of the receipt of the notice and submitted a representation to that effect of the Commission;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 19(B) of the Khadi and Village Industries Commission Act, 1956 (61 of 1956), read with sub-rule (2) of rule 30 of the Khadi and Village Industries Commission Rules, 2006, the Central Government hereby constitutes a tribunal consisting of one person, namely Shri S. K. Goyal, Director, Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, Udyog Bhavan, New Delhi-110011 and refers the question of disputes to the said Tribunal for deciding about the payment of dues by the Society to the Commission within the meaning of sub-section (1) of Section 19(B) of the said Act.

The said tribunal shall submit its report to the Central Government as soon as possible but not later than three months from the date of publication of this notification in the official Gazette.

The headquarter of the said Tribunal shall be at New Delhi. The expenses of the tribunal shall be borne by the Commission.

[F. No. C-18019/15/2007-KVI-II]

SESH KUMAR PULIPAKA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.